SC/ST अधिनियम में बौद्धिक संपदा को शामिल करना

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस]

[illegible], 2024 **में**, [सर्वोच्च न्यायालय] ने **बॉम्बे** [उच्च न्यायालय] के निर्णय को बरकरार रखा, जिसमें [अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989] में **"संपत्ति"** की परिभाषा का विस्तार करते हुए [बौद्धिक संपदा] को भी शामिल किया गया।

- पीड़ितों ने **SC/ST अधिनियम, 1989 के प्रावधानों** के तहत अपने **शोध डेटा, लैपटॉप और बौद्धिक संपदा** की चोरी के लिये मुआवज़े की मांग की।
- **बॉम्बे उच्च न्यायालय** ने निर्णय दिया कि "संपत्ति" शब्द की व्याख्या व्यापक रूप से की जानी चाहिये, जिसमें **बौद्धिक संपदा** जैसे **डेटा, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री और बौद्धिक अधिकार**, चाहे वे **मूर्त हों या अमूर्त**, शामिल हों।
- [पेटेंट], [कॉपीराइट] और [डिज़ाइन], संपत्ति हैं, भले ही उनका भौतिक अस्तित्व न हो, और **SC/ST अधिनियम**, **1989 के तहत मुआवज़े** के लिये उनका मूल्यांकन किया जा सकता है।
- SC/ST अधिनियम, 1989 SC/ST सदस्यों के खिलाफ **विशिष्ट अपराधों** को परिभाषित करता है, जिसमें **शारीरिक हिंसा, उत्पीड़न और सामाजिक भेदभाव** शामिल हैं।
    - SC/ST अधिनियम, 1989, [अग्रिम जमानत] **की अनुमति नहीं देता,** जब तक कि आरोपी के खिलाफ **प्रथम दृष्टया मामला** न बन जाए।
    - इसमें **त्वरित सुनवाई के लिये विशेष न्यायालयों** और इसके कार्यान्वयन की निगरानी के लिये **वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों** के नेतृत्व में राज्य स्तर पर **SC/ST संरक्षण प्रकोष्ठों** की स्थापना का प्रावधान है।

बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR)

IP/बौद्धिक संपदा का तात्पर्य किसी व्यक्ति/कंपनी द्वारा सहमति के बिना बाह्य उपयोग या कार्यान्वयन से स्वामित्व/कानूनी रूप से संरक्षित अमूर्त संपत्तियों से है।

IPR के लिये आवश्यक हैं

- नवप्रवर्तन को प्रोत्साहित करना।
- आर्थिक विकास।
- रचनाकारों के अधिकारों की रक्षा करना।
- व्यापार करने में सुलभता बढ़ाना।

संबंधित कन्वेंशन/संधि (भारत ने इन सभी पर हस्ताक्षर किये हैं)

- **WIPO द्वारा प्रशासित (प्रथमतः मान्यता प्राप्त IPR के अंतर्गत):**
  - औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण हेतु पेरिस कन्वेंशन, 1883 **(पेटेंट, औद्योगिक डिज़ाइन)।**
  - साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के संरक्षण हेतु बर्न अभिसमय, 1886 **(कॉपीराइट)।**
- **विश्व व्यापार संगठन (WTO)- ट्रिप्स समझौता:**
  - सुरक्षा के पर्याप्त मानक सुनिश्चित करना।
  - विकासशील देशों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिये प्रोत्साहित करना।
- **बुडापेस्ट अभिसमय, 1977:**
  - पेटेंट प्रक्रिया के प्रयोजन हेतु सूक्ष्मजीवों के जमाव की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता।
- **मरकिश VIP समझौता, 2016:**
  - दृष्टिबाधित व्यक्तियों और आँखों से दिव्यांगों (print disabilities) वाले व्यक्तियों को प्रकाशित कार्यों तक पहुँच की सुविधा प्रदान करना।
- IPR को **अनुच्छेद 27** (मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा) में भी रेखांकित किया गया है।

भारत की पहल और IPR

- **राष्ट्रीय IPR नीति, 2016:**
  - **आदर्श वाक्य:** "क्रिएटिव इंडिया; इनोवेटिव इंडिया"।
  - ट्रिप्स समझौते के अनुरूप।
  - सभी IPR को एक मंच पर लाता है।
  - नोडल विभाग - औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग (वाणिज्य मंत्रालय)।
- राष्ट्रीय (IP) जागरूकता मिशन **(NIPAM)**
- बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता अभियान के लिये कलाम कार्यक्रम **(KAPILA)**

विश्व बौद्धिक संपदा दिवस: 26 अप्रैल

बौद्धिक संपदा	संरक्षण	भारत में कानून	अवधि
कॉपीराइट	विचारों की अभिव्यक्ति	कॉपीराइट अधिनियम 1957	परिवर्तनीय
पेटेंट	आविष्कार- नवीन प्रक्रियाएँ, मशीनें आदि।	भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970	सामान्यतः 20 वर्ष
ट्रेडमार्क	व्यावसायिक वस्तुओं या सेवाओं को पृथक करने के लिये चिह्न	व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999	अनिश्चित काल तक रह सकता है
ट्रेड सीक्रेट	व्यावसायिक जानकारी की गोपनीयता	पंजीकरण के बिना संरक्षित	असीमित समय
भौगोलिक संकेत (GI)	विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति पर प्रयुक्त संकेतक और उत्पत्ति स्थल के वजह से विशिष्ट गुण रखते हों	वस्तुओं का भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999	10 वर्ष (नवीकरणीय)
औद्योगिक डिज़ाइन	किसी लेख का सजावटी या सौंदर्यपरक पहलू	डिज़ाइन अधिनियम, 2000	10 वर्ष

Drishti IAS

और पढ़ें: SC और ST अधिनियम 1989 पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/sc-st-act-to-include-intellectual-property